"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 8 मई 2025 — वैशाख 18, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2–19/2024/10–2/बजट.— यतः, सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती है, पारदर्शिता एवं दक्षता आ जाती है और लाभार्थी, अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं।

और यतः, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, (को इसमें इसके पश्चात् विभाग के रूप में निर्दिष्ट है), निम्नलिखित योजनाओं का संचालन कर रहा हैः–

सं. क्र.	योजना का नाम	योजना का विवरण (इसमें इसके पश्चात् योजनाएँ के रूप में निर्दिष्ट है)	लाभ का विवरण (इसमें इसके पश्चात् लाभ के रूप में निर्दिष्ट है)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तेंदूपत्ता का व्यापार	तेंदूपत्ता संग्रहण एवं तेंदूपत्ता व्यापार से अर्जित लाभांश का प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान	लघु वनोपज/ तेंदूपत्ता के संग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को Direct Benefit transfer (जो इसमें उसके पश्चात् अन्य तरीकों के रूप में निर्दिष्ट है) और अन्य तरीकों से भुगतान।
2.	लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	लघु वनोपज के संग्रहकर्ताओं और अन्य वनवासियों को लघु वनोपज के संग्रहण मूल्य, व्यापार के लाभांश वितरण, प्रसंस्करण, विपणन कार्य की राशि का भुगतान ।	
3.	वन धन विकास योजना के अन्तर्गत लघु वनोपज का प्रसंस्करण		
4.	लाख विकास योजना	लाख पालन और लघु वनोपज आधारित कृषि वानिकी के देय/ अनुदान ।	
5.	लघु वनोपज आधारित कृषि वानिकी		

6.	सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाएँ	तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना और समूह बीमा योजना एवं प्रबंधक और फड़ मुंशी के लिए बीमा योजना एवं राशि भुगतान।	
7.	छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता योजना	1. मेधावी छात्र/ छात्राओं को पुरस्कार योजना। 2. प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना। 3. व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति। 4. गैर–व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना (कियान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थियों को भुगतान उपरोक्त योजना के अनुसार किया जायेगा।)	

जो कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित (जो इसमें इसके पश्चात् क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

और यतः, योजना के अधीन (जो इसमें इसके पश्चात् योजना के रूप में निर्दिश्ट है) लघु वनोपज के संग्राहकों और अन्य वनवासियों तथा लघु वनोपज की खरीद, प्रसंस्करण, विपणन एवं विकास में लगे व्यक्तियों (जो इसमें इसके पश्चात् लाभार्थियों के रूप में निर्दिष्ट है) को विद्यमान योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाता है;

और यतः, उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की समेकित निधि से आवर्ती व्यय भी होता है;

अतएव, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकीयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (क्र.18 सन् 2016) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. (1) कोई भी पात्र व्यक्ति, जो उक्त योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे आधार क्रमांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) कोई भी पात्र व्यक्ति, जो योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक और जिसके पास आधार क्रमांक नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परंतु यह कि यह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकर (UIDAI) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाकर आधार के लिए आवेदन कर सकते है ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2018 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन पात्र हितग्राहियों के लिए, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित ना हो, के लिये नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो, तो विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ या यूआईडीएआई द्वारा उन्हें बनाए गए रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करायेगा ।

परंतु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर दिया जाएगा, अर्थात्:–

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची;

या

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :–

(एक) बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक; या
(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(तीन) पासपोर्ट; या
(चार) राशन कार्ड; या
(पांच) मतदाता पहचान पत्र; या
(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या
(आठ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंगप्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाण पत्र; या
(दस) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु और यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए पदाभिहीत प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजनांतर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ उपलब्ध कराने हेतु विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु यह सुनिश्चित करेगा कि हितग्राहियों को योजनांतर्गत आधार की आवश्यकता से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

3. सभी मामलों में, जहॉ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण की सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण के साथ–साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति से लाभ दिया जा सके।

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम–आधारित वन टाइम पासवर्ड जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य होगा।

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम–आधारित वन–टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नही है. वहां योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पोंस कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। क्विक रिस्पोंस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यह सुनिश्चित करने के कम में, कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी मिलने वाले लाभों से वंचित न हो, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेंगे, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन नं. D-26011/04/2017-DBT दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट है।

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd May 2025

NOTIFICATION

No. F 2-19/2024/10-2 .— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Forest and Climate Change Department, Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Department), is administering the following Schemes:-

S.No.	**Name of the Scheme**	**Description of the Scheme (hereinafter referred to as the Schemes)**	**Description of the Benefit (hereinafter referred to as the Benefit)**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Trade of tendupatta	Payment against the tendupatta collection and incentive amount from tendupatta trade surplus.	Payment to the collectors of tendupatta/minor forest produce and other beneficiaries through direct benefit transfer (herein after referred to as other mode(s).
2.	Minimum Support Price for Minor Forest Produce scheme	Payments to Minor Forest Produce collectors and other forest dwellers against procurement, processing, marketing of Minor Forest Produce	
3.	Processing of Minor Forest Produce as per Van Dhan Vikas		

	Yojana		
4.	Lac Development Scheme	Grants/Subsidies to farmers of Lac and Minor Forest Produce based Agro forestry	
5.	Minor Forest Produce based Agro forestry		
6.	Social security and insurance schemes	Rajmohini Devi Tendupatta Samajik Suraksha Yojna and Samooh Bima Yojna for the collectors of tendupatta and insurance scheme for Prabandhak and Phad Munshi and payment thereof.	
7.	Scholarship and Educational Support Scheme	1. Medhavi Chhatra / Chhatraon ko Puruskar Yojna. 2. Pratibhashali Bachhon ke liye Shiksha Protsahan Yojna. 3. Vyavsayik Course hetu Chhatravritti. 4. Gair-vyavsayik Snatak Course hetu Anudan Yojna. (The payment as per the above schemes will be paid to the beneficiaries by the implementing agency.)	

which is being implemented through the Chhattisgarh State Minor Forest Produce Co-operative Federation Limited (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, payments (hereinafter referred to as the benefit) is given to the collectors of minor forest produce and other forest dwellers and persons engaged in procurement, processing, marketing and development of Minor Forest Produce (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Government of Chhattisgarh;

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No.18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Chhattisgarh, hereby, notifies the following, namely: -

1.(1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tahsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; or

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tahsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Implementing Agency:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the implementing agency for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by

Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.